क्रम संख्या–212

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 457/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का उत्तरांचल राज्य की प्रवृत्ति के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) प्रस्तर (ख) और (छ) में संशोधन–

(1) अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (ख) में इंगित शब्दों "उत्तरप्रदेश विधानपरिषद के एक निर्वाचित हिन्दू सदस्य" को निरसित समझा जाएगा एवं "विधान सभा से निर्वाचित दो हिन्दू सदस्यों" के स्थान पर " विधान सभा से निर्वाचित 3 हिन्दू सदस्यों" पढ़ा जाएगा ।

(2) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के प्रस्तर (छ) में राज्य सरकार द्वारा नामित किए जानेवाले सदस्यों की संख्या 'सात' के स्थान पर 'दस एवं एक उपाध्यक्ष' पढ़ा जाएगा ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (छ) के बाद एक नया परन्तुक जोड़ा जाना–

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (छ) के बाद एक नया परन्तुक निम्नवत जोड़ दिया जाएगा–

"परन्तु राज्य सरकार उतनी संख्या में, जितना वह उचित समझे, सरकार के अधिकारियों को नामित कर सकेगी " ।

आज्ञा से,

(यू० सी० ध्यानी)

अपर सचिव।

No. 457/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002

Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 18 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

UTTARANCHAL (THE UNITED PROVINCES SHRI BADRINATH TEMPLE ACT, 1939) (AMENDMENT) ACT, 2002

(UTTARANCHAL ACT No. 18 OF 2002)

(Enacted by the State Assembly in the Fifty-third Year of the Republic of India)

To further amend the United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939 *in it's application to Uttaranchal State.*

AN

ACT

Short title and commencement -

1 (1) This Act may be called Uttaranchal (The United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939) (Amendment) Act, 2002.

(2) It shall come into force at once.

2 Amendment of Para (b) of Sub Section (1) of the Section 5 of Act No. 16 of 1939-

(1) In Para (b) of Sub Section (1) of the Section 5 of Act No. 16 of 1939 the words "one member of the Legislative council" shall be deemed repealed and "two" persons elected from Hindu members of Legislative Assembly", shall be read as "three persons elected from Hindu members of Legislative Assembly".

(2) In Para (g) of Sub Section (1) of Section 5 of the Principal Act the number of nominated members by the State Government shall be read as "ten and a Vice Chairman" instead of "seven".

3. **Insertion of a new proviso after Para (g) of Sub Section (1) of Section 5 of the Principal Act -**
A new proviso after Para (g) of Sub Section (1) of Section 5 of the Principal Act shall be inserted as follows: -
The State Government may nominate such officers of the Government as members as it may deem necessary.

By Order,

(U. C. DHYANI)
Addl. Secy.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 29 विधायी/562–2002–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।